

प्रेस-विज्ञप्तिथाना मुबारकपुरनाजायज तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.07.2022 को प्र0नि0 मुबारकपुर योगेन्द्र बहादूर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रामकृष्ण सिंह प्र0चौकी सठियांव मय उ0नि0 राजीव कुमार सिंह प्र0चौकी मुबारकपुर मय हमराह के द्वारा चेकिंग के दौरान सठियांव सिक्स लेन अण्डर पास के पास से अभियुक्त विकास गौड़ उर्फ मोनू पुत्र संचम गौड़ निवासी ग्राम शाहगढ़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय 22.10बजे रात्रि मे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

विकास गौड़ उर्फ मोनू पुत्र संचम गौड़ निवासी ग्राम शाहगढ़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
बरामदगी

एक अदद तमंचा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 210/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रामकृष्ण सिंह थाना मुबरकपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अनिल राय व का0 रितेश गुप्ता, का0 सद्दाम हुसैन अंसारी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सरायछेड़खानी व मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.07.2022 को वादी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया जिसमें दिनांक 17.07.2022 की रात्रि करीब 23.00 बजे अभियुक्त 1. सूरज सरोज पुत्र विजय लाल सरोज ग्राम चांदीटीकर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सिकन्दर सरोज पुत्र फौजदार सरोज 3. मिथिलेश पुत्र रामलखन सरोज साकिनान जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को घर में घुसकर जबरजस्ती उठाकर पास के खेत में ले जाना तथा सूरज सरोज द्वारा छेड़खानी करना व उपरोक्त मुल्लिमानों द्वारा मारपीट करना व दिनांक 18.07.2022 को समय 14.00 बजे सुनील पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सिरवा उसाउर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व 8-10 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी डण्डा लेकर मारना पीटना जिससे रीता पत्नी रामबृज, रामकेश पुत्र स्व0 सुधिराम, गोलू पुत्र रामबृज, निशा पुत्री सतई को चोटे आना व भतीजा अवधेश कुमार को सिकन्दर द्वारा फोन से जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2022 धारा 147/148/452/323/504/507 भा0द0वि0 व 7, 8 पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 22.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी रानी की सराय के कुशल निर्देशन में व0उ0नि0 निशात जमा खां मय हमराह ओमप्रकाश गौड़ , कां0 शशिभूषण के द्वारा मु0अ0सं0 228/2022 धारा 147/148/452/323/504/507 भा0द0वि0 व 7, 8 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त सिकन्दर सरोज पुत्र फौजदार सरोज ग्राम जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व मिथिलेश उर्फ राज पुत्र रामलखन ग्राम जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय 10.55 बजे रूदरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 228/2022 धारा 147/148/452/323/504/507 भा0द0वि0 व 7, 8 पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सिकन्दर सरोज पुत्र फौजदार सरोज ग्राम जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. मिथिलेश उर्फ राज पुत्र रामलखन ग्राम जलालपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 निशात जमा खां, कां0 ओमप्रकाश गौड़ व कां0 शशिभूषण थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंजशादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त बबलू उर्फ शरद कुमार पुत्र मीता मौर्या ग्राम रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर म0अ0सं0 186/22 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 22.7.22 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह का0 आलोक रंजन के द्वारा मु0अ0सं0 186/22 धारा 376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू उर्फ शरद कुमार पुत्र मीता मौर्या ग्राम रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 8.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 186/22 धारा 376 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता - बबलू उर्फ शरद कुमार पुत्र मीता मौर्या ग्राम रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र-26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उदशरथ उपाध्याय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 0नि0
2. कारंजन आलोक 0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

अपहरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22.7.22 को उ0नि0 अतीक अहमद मय हमराह का0 मन्दीप कुमार सुमन व का0 राहुल राज के द्वारा मु0अ0स0 187/22 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अशफाक पुत्र शमशाद अहमद ग्राम मतलूबपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को ग्राम हैदराबाद तिराहे पर से समय करीब 8.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 187/22 धारा 363,366 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – असफाक पुत्र शमशाद अहमद ग्राम मतलूबपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र-19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उअतीक अहमद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 0नि0
2. कामंदीप कुमार सुमन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़। 0
3. काराहुल राज 0

थाना दीदारगंज

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22.7.22 को उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराह हे0का0 दिनेश यादव का0 दुर्गेश राय के द्वारा मु0अ0स0 85/22 धारा 436 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त मेवालाल पुत्र चुल्ली सा0 पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़ को कुशलगांव बाजार से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 85/22 धारा 436 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – मेवालाल पुत्र चुल्ली सा0 पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़ थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र-50 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उअरविन्द कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 0नि0
2. हेदिनेश यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़। 0का0
3. कादुर्गेश राय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़। 0

थाना- मेंहनगर

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र नन्दलाल राम सा0 झउवा थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/22 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 22.07.2022 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह का0 जंगबहादुर पटेल का0 अजय कुमार के चौकी सिंहपुर के द्वारा मु0अ0सं0 22/22 धारा 376/323/504/506 भादवि. थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभि0 संदीप कुमार पुत्र नन्दलाल राम सा0 झउवा थाना मेंहनगर आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 22/22 धारा 376/323/504/506 भादवि. थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. संदीप कुमार पुत्र नन्दलाल राम सा0 झउवा थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह का0 जंगबहादुर पटेल का0 अजय कुमार

थाना- महाराजगंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त समर सिंह यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी मुडीलपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/22 धारा 376, 504, 506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़ किया गया।

आज दिनांक 22.07.22 को थानाध्यक्ष मय हमराह कर्म0 गण के मु0अ0सं0 278/22 धारा 376, 504, 506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त समर सिंह यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 मुडीलपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सहदेवगंज मोड़ पर से समय करीब 08.15 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 278/22 धारा 376, 504, 506 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

समर सिंह यादव पुत्र सुबाष यादव निवासी मुडीलपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO कमलकान्त वर्मा मय हमराह हे0का0 परमात्मानंद यादव , का0 राहुल कुमार व का0 प्रियांशु सोनकर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़